

पत्रावली का उपाय
 उपस्थित/प्राप्त विचार की
 अनुसंधान पर पत्रावली
 दिनांक 12/12/17 को पेश हो।

आदेश से रीट

8-12-17 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीण उपस्थित।
 वकील प्राचीण को 2 के 20 की कोर के सी डनेश
 व्याक, एडवोकेट होचिदास एड वाराड पत्रावली का
 ही के लिए तब तक दिया जाता है वाराड इच्छीय
 को 2 के 20 के होचिदास एड पत्रावली के पत्रावली
 दिनांक 19-18 को पेश हो।

19-1-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीण उपस्थित।
 2 के 20 की कोर के सी डनेश व्याक, एडवोकेट होचिदास एड
 वाराड पत्रावली का ही के लिए तब तक दिया जाता है।
 वाराड विषयी को 2 के 20 के होचिदास एड पत्रावली
 दिनांक 27-4-18 को पेश हो।

136-18 पत्रावली राजस्व लोड रद्दालत में प्र कोर कोर पर पेश हुई।
 वकील प्राचीण उपस्थित। विषयी को 2 के 20 की कोर
 के वकील विषयीण उपस्थित नहीं। विषयी को 2 के 20
 के वकील को दिनांक 24-1-16 के हाज दिने तक
 होचिदास एड प्रवृत्त किया होव के ही विषयीण को 2 के 20
 मय होचिदास उपस्थित। ऐसी स्थिति है विषयीण
 के 2 के 20 मय होचिदास के विषयी ही मय विषयीण का
 दिनांक जाके के उपरोक्त ही उपस्थित नहीं होके के
 एक तरफ वाराड ही जाके का कोर दिया जाता है।
 वकील प्राचीण उपस्थित। वकील प्राचीण के एक तरफ
 वदक नदनी वाली वकील प्राचीण की एक तरफ वदक
 गयी। वदक के कोर वकील प्राचीण के वाराड एड के
 के लिए वदक के वदक के कोर के हाज एड प्रवृत्त
 स्वीकार प्रिय जाके की वदक ही।
 मय पत्रावली का रद्दालत प्रिया तथा एक तरफ
 वदक पर मनन दिया जाय। विवाचित वाराड


136-18

उपस्थित/प्राप्त
 दिनांक

ज्ञान क्षेत्रों में पारंपरिक क्षेत्रों में तहसील व जिला सीमाओं में स्थित
 होकर प्राथमिक के तहत ही रहेंगी। जिनकी तहसील परमाणु नागरिक अभियंत्रण
 जमाबंदी की तहसील कचरा 2009 से 2022 के होती है। उनका दरताफेज व शर्तों
 पर ही के लिए तहसील के तहसील विवादित कानूनिय प्राथमिक एवं विपरीत
 1 व 2 के तहत तब ही बवातेदारान के तहत ही रहेंगी। एक प्रकार विवादित
 कानूनिय क्षेत्र बवातेदारी है। केंद्रित बवातेदारी के होने के जवत
 विवादित कानूनिय का विभाजन नहीं हो जाता, तब तक ही प्रोसेस में पर
 प्रोसेस बवातेदार का हक व हिसका होकर बचा जाना जाता है एक प्रकार प्राथमिक
 का प्रथम हिसका भाषणा व उपविभाजन केंद्रित प्राथमिक के एक ही है, एक कानून
 प्राथमिक के लिए ही हिसका के बवातेदार विपरीत के विरुद्ध कानूनिय निषेधा
 जारी करके उपविभाजन एवं तहसील है।
 उपरोक्त विवेक के तहत पर प्राथमिक का प्रथम हिसका भाषणा व उपविभाजन
 केंद्रित प्राथमिक के एक ही होने के विपरीत के विरुद्ध कानूनिय निषेधा
 जारी करके उपविभाजन कानूनिय है. कतः

०० कावेरा ००

प्राथमिक का शर्तों पर सारा 2/2 R-T-A का तहसील क्षेत्र
 जवत ज्ञान क्षेत्रों में पारंपरिक क्षेत्रों में तहसील व जिला सीमाओं में स्थित
 में स्थित होकर प्राथमिक के तहत ही रहेंगी। जिनकी तहसील परमाणु नागरिक अभियंत्रण
 जमाबंदी की तहसील कचरा 2009 से 2022 के होती है। उनका दरताफेज व शर्तों
 पर ही के लिए तहसील के तहसील विवादित कानूनिय प्राथमिक एवं विपरीत
 1 व 2 के तहत तब ही बवातेदारान के तहत ही रहेंगी। एक प्रकार विवादित
 कानूनिय क्षेत्र बवातेदारी है। केंद्रित बवातेदारी के होने के जवत
 विवादित कानूनिय का विभाजन नहीं हो जाता, तब तक ही प्रोसेस में पर
 प्रोसेस बवातेदार का हक व हिसका होकर बचा जाना जाता है एक प्रकार प्राथमिक
 का प्रथम हिसका भाषणा व उपविभाजन केंद्रित प्राथमिक के एक ही है, एक कानून
 प्राथमिक के लिए ही हिसका के बवातेदार विपरीत के विरुद्ध कानूनिय निषेधा
 जारी करके उपविभाजन एवं तहसील है।


 उपस्थित अधिकारी
 पी.एस.